तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		करा

एकलपीठ
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—
(1) श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही होने से इकतरफा कार्यवाही की गयी।

निर्णय दिनांक :21.8.18

1— यह रैफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 जिला कलक्टर, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 337/1 में पारित निर्णय दिनांक 2.2.12 के द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय में सम्बन्धित तहसीलदार टोंक की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी रामगोपाल पुत्र किशना जाति गूजर निवासी बिठोला को ग्राम बिठोला के आराजी खसरा नम्बर 335 में से 3 बिस्वा भूमि का बाडा आवंटन/नियमन किया गया था। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 140 दिनांक 7—2—84 द्वारा आवंटी रामगोपाल को गेर खातेदारी दी गयी है जो नियमों के प्रतिकूल है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह अंकित है।अतः अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन एवं इसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में किये गये सभी इन्द्राजात को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में चारागाह अभिलिखित किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए, अप्रार्थी की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नही हुआ तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी पक्ष की बहस सुन कर अपने निर्णय दिनांक 7—11—2005 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है।

4. इस न्यायालय में रेफरेंस प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिसकी ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नही हैं, जिसके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी। अतः रेफरेंस पर प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

5. योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी रामगोपाल पुत्र किशना जाति गूजर निवासी बिठोला को ग्राम बिठोला के आराजी खसरा नम्बर 335 में से 3 बिस्वा भूमि का बाडा आवंटन/नियमन किया गया था। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 140 दिनांक 7—2—84 द्वारा आवंटी रामगोपाल को गेर खातेदारी दी गयी है जो नियमों के प्रतिकूल है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह अंकित है।अतः अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन एवं इसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में किये गये सभी इन्द्राजात को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में चारागाह अभिलिखित किया जावे।

6. मैने प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से की गयी बहस व तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी रामगोपाल पुत्र किशना जाति गूजर निवासी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिठोला को ग्राम बिठोला के आराजी खसरा नम्बर 335 में से 3 बिस्वा भूमि का बाडा आवंटन/नियमन किया गया था जिसके आधार पर नामा0 संख्या 140 दिनांक 7–2–84 द्वारा आवंटी रामगोपाल को गेर खातेदारी दी गयी है जो नियमों के प्रतिकूल है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह अंकित है जबकि बाडा प्रयोजनार्थ आवंटित/नियमन की गयी भूमि पर किसी प्रकार का टाइटल आवंटी को प्राप्त नही हो सकता है। अप्रार्थी के पक्ष में गैर खातेदारी का नामा0 स्वीकार किया जाना अथवा खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 98 के प्रतिकूल है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन एवं इसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में किये गये सभी इन्द्राजात को निरस्त कर विवादित भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में चारागाह अभिलिखित किया जाना न्यायहित में उचित समझते है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। 8. फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी रामगोपाल पुत्र किशना जाति गूजर निवासी बिठोला को ग्राम बिठोला के आराजी खसरा नम्बर 335 में से 3 बिस्वा भूमि का बाडा हेतु किया गया आवंटन/नियमन एवं उक्त आवंटन के आधार पर नामा0 संख्या 140 दिनांक 7–2–84 द्वारा आवंटी रामगोपाल को गेर खातेदारी दी गयी है, निरस्त किया जाकर पुनः विवादित आराजी की आवंटन से पूर्व की स्थिति किस्म चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। 9. आदेश की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। 10. पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	

रेफरेंस / एल.आर / 5789 / 2005 / टोंक

सरकार बनाम रामगोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए